फर्द अहकाम

न्यायालय ACM Chomu

देवेन्द्र कुमार बनाम कैलाशचन्द्र वगै०

मुकदमा संख्या / वर्ष : 94 / 2020

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		~~अपने संशोधित विषय हेतु~~ दिनांक 04/9/24 को पेश हो।	
	04/9/24	व.क्र. 04.) पत्रावली में संशोधित विषय पेश हुआ। ~~अतः~~ पत्रावली वास्ते वास्ते जवाब हेतु दिनांक 30/9/24 को पेश हो।	
	30/9/24	व.क्र. 04.) पत्रावली वास्ते जवाब हेतु अवसर दिया जाकर आगामी दिनांक 30/10/24 को पेश हो।	
	30/10/24	अधिवक्ता प्रार्थी आज कण्डोलैंस / कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञा दिनांक 4/12/24 को पेश हो।	
	04/12/24	व.क्र. 04.) प्रार्थी अधिवक्ता के जवाब वास्ते यद्यपि अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर बहस T.I. सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। मूल वाद तकसीम व स्थायी निषेधाज्ञा का है प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति कारित होना साबित नहीं होता है अतः T.I. जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है अतः T.I. प्रा. पत्र इसी वक्त पर खारिज किया जाकर पत्रावली डाक अवधि से का है। दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)